हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जो किस
तामील म

19-12-25 पत्रावली आज पेश है। वकील पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। निर्णय वास्ते आदेश में पत्रावली दिनांक 19-1-26 को पेश हो।

19-1-26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गंभीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व अभिलेख वादी व प्रतिवादी सह-खातेदार दर्ज है। भूमि पर रिसीवर नियुक्त करना अत्यन्त extreme Measure है इसके लिये प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा अपर्याप्त सिद्ध करना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पर्याप्त नहीं है। एक सह खातेदार दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध रिसीवर नियुक्त नहीं करा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः रिसीवर नियुक्त करने का प्रकरण नहीं बनता है। प्रार्थना-पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला खुले इजलास सुनाया गया।